न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम प्रकरण, अजमेर, जिला–अजमेर (राज.) एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–01, अजमेर

––––––––––––––––

पीठासीन अधिकारी :: भानु कुमार, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

–––––––

निर्णय दिनांक 31–07–2026

सेशन प्रकरण संख्या– 03/2015

सी.आई.एस. पंजीयन संख्या–337/21

(प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 405/2014 पुलिस थाना सिविल लाईन,अजमेर)

अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट

भाग–1

(क)

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रतिनिधित्व द्वारा	अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1–सद्दाम उर्फ लाला पुत्र उम्मेद खां, निवासी मेघराज, पी एस बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा। 2–इकबाल पुत्र घासी खां, निवासी गांव नाथूतला, पोस्ट गांव डोडियाना, थाना पीसांगन, जिला अजमेर। **(मफरूर दि. 13.08.2025)**
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री एस.एन. शर्मा, विद्वान अधिवक्ता
परिवादी	प्रदीप लखावत, जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री शशि इन्दोरिया

(ख)

अपराध की दिनांक	01–11–2014
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	01–11–2014
आरोप पत्र की दिनांक	09–02–2015
आरोप सुनाए जाने की दिनांक	26–04–2016
साक्ष्य आरंभ की दिनांक	29–06–2016
निर्णय के लिए निर्धारित तिथि	24–07–2026
निर्णय सुनाने की दिनांक	31–07–2026
दण्डादेश (यदि हो तो) दिनांक	––––

Authenticated Document

(ग) अभियुक्त का विवरण

क्र. सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत पर बाहर होने की दिनांक	आरोपित अपराध	दोषसिद्धि या दोषमुक्ति	दंडादेश का विवरण	धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभिरक्षा में बिताई गई अवधि
01	सद्दाम	11–11–14	15–05–19	8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट	दोषमुक्त	––	रिकॉर्डनुसार

भाग–2

अभियोजन साक्षी/प्रतिरक्षा/न्यायालय साक्षियों की सूची

(क)अभियोजन साक्षी

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पी.डब्ल्यू.–01	श्योजीराम मीणा	फर्द सहमति पत्र, जेलर, बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.–02	जितेन्द्र कुमार	अनुसंधानाधिकारी
पी.डब्ल्यू.–03	श्याम लाल	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रवानगी व वापसी,
पी.डब्ल्यू.–04	हरभान सिंह	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, सूचना पहुंचाना, रवानगी व वापसी
पी.डब्ल्यू.–05	राज कुमार	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फर्द जब्ती व नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू.–06	मंगलचंद	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू.–07	रोहित कोशिक	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फर्द जब्ती व नक्शा मौका घटनास्थल व स्वतंत्र गवाह
पी.डब्ल्यू.–08	दिलीप सिंह	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.–09	रतनलाल	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फर्द जब्ती
पी.डब्ल्यू.–10	मनमोहन शर्मा	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता
पी.डब्ल्यू.–11	अजीत सिंह	मौका गवाह व पर्ची
पी.डब्ल्यू.–12	पूर्णा राम	तितम्बा चार्ज शीट
पी.डब्ल्यू.–13	भगवत सिंह	फर्द गिरफ्तारी का गवाह

Authenticated Document

पी.डब्ल्यू.–14	विजेन्द्र सिंह	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फर्द जब्ती व फर्द नष्टीकरण
पी.डब्ल्यू.–15	भागचंद	फर्द गिरफ्तारी का गवाह
पी.डब्ल्यू.–16	मूल सिंह	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता,
पी.डब्ल्यू.–17	लक्ष्मण राम	इन्वेट्री, एफ एस एल व उक्त बाबत फोटोग्राफ्स
पी.डब्ल्यू.–18	हनुमानाराम	बयान 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता, फर्द जब्ती व नक्शा मौका घटनास्थल व जब्तीकर्ता

(ख)(प्रतिरक्षा साक्षी)

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रति**
शून्य	**शून्य**	**शून्य**

(ग) न्यायालय साक्षी

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रति**
शून्य	**शून्य**	**शून्य**

प्रदर्शित दस्तावेजात की सूची अभियोजन प्रदर्श/प्रतिरक्षा प्रदर्श/न्यायालय प्रदर्श

(क)अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	**प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित**	**वर्णन**
01	01	फर्द सहमति
02	02	फर्द जब्ती मादक पदार्थ
03	03	नमूना सील
04	04	फर्द नष्टीकरण नमूना सील
05	05	पुनः रीसील की फर्द
06	06	नक्शा मौका घटनास्थल
07	07	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त सददाम उर्फ लाला

08	08	जब्तशुदा माल को एफ.एस.एल. भेजने के लिए पत्र
09	09	विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लिखा गया पत्र
10	10	एफ. एस. एल. की प्राप्ति रसीद
11	11	रोजनामचे की नकल रपट
12	12	जेल से दस्तावेज प्राप्त किये गये
13	13	जेल का अभियुक्त सददाम का रिकार्ड
14	14	बंदी की डिटेल
15	15	बंदी से साक्षात्कार की प्रति
16	16	जेल से प्राप्त रिकार्ड
17	17	अन्य दस्तावेज
18	18	जेल अधीक्षक की दस्ती
19	19	जेल से प्राप्त रिमाण्ड का रिकार्ड
20	20	जेल की दस्ती
21	21	पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे दिया पत्र
22	22	रोजनामचा इन्द्राज
23	23	थाने पर वापसी का इन्द्राज
24	24	प्राप्ति रसीद
25	25 व 26	रवानगी व वापसी की रपट
26	27	एफ एस एल की रसीद
27	28	फर्द सहमति
28	पुनः 28	फर्द गिरफ्तारी इकबाल
29	29	हुकुमनामा
30	30	इन्वेटरी करने के लिए प्रार्थना पत्र
31	31 से 44	इन्वेटरी हेतु नियुक्त आदेशिका, इन्वेटरी बाबत प्रमाण पत्र, रिपोर्ट, फोटोग्राफस, इन्वेटरी रिपोर्ट
32	45 व 46	एफ. एस. एल. रिपोर्ट के बाबत पत्र व एफ. एस. एल. रिपोर्ट
33	47 से 60	जब्तशुदा माल की इन्वेटरी रिपोर्ट, इन्वेटरी के फोटोग्राफ मजिस्ट्रेट द्वारा 52 ए का प्रमाण पत्र

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
शून्य		

(ग) न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या मय साक्षी द्वारा प्रदर्शित	वर्णन
शून्य		

(घ) सारवान वस्तु एवं मालखाना

क्रम संख्या	सारवान वस्तु एवं मालखाना का क्रमांक	वर्णन	मालखाना रजिस्टर के क्रमांक एवं वर्णन
जब्ती अनुसार			

01. विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.2/13/न्याय 2018 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पृष्ठाकंन क्रमांक Gen/II/15/2019/895 एवं माननीय सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर के आदेश क्रमांक Gen/II/9/2022/896 की पालना में हस्तगत पत्रावली विधिवत् विचारण एवं निस्तारणार्थ प्राप्त हुई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.11.2014 को समय 6.05 PM पर जरिये टेलीफोन SHO हनुमानाराम विश्नोई को थाने पर ईतला मिली की कि मैं जैल अधीक्षक प्रदीप लखावत बोल रहा हूं, आज दिनांक को विचाराधीन बन्दी सद्दाम S/O उम्मेद खाँ से मुलाकात करने के लिये इकबाल पुत्र घासी खाँ निवासी नथूतला थाना पीसांगन अजमेर आया था, इकबाल के द्वारा बन्दी सद्दाम को देने हेतु एक कपडे का बैग प्रस्तुत किया था। उक्त बैग की गैट मैन तलाशी ड्युटी तैनात RAC आरक्षीगण के द्वारा लिये

जाने पर बैग में सेव, कैला, दो अण्डर वियर तथा कुछ काले रंग का संदिग्ध पदार्थ मिला है, जो नशीला पदार्थ होने की आशंका है, उक्त ईतला की पृथक से फर्द मुर्तिब कर धारा 42 (2) NDPS ACT की सूचना जरिये विशेष वाहक कानि 1421 हरबान सिंह को श्रीमान पुलिस अधीक्षक व वृत्ताधिकारी महोदय वृत्त उत्तर नगर अजमेर को देने रवाना कर मन SHO हनुमानाराम SI मय हैड कानि. 155 राजकुमार, कानि. 1571 विजेन्द्र सिंह मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी जीप चालक कानि. 1173 महेन्द्र सिंह के थाने से समय 5.15 PM पर रवाना होकर सैन्ट्रल जैल, तिराया पहुंचा जहां पर हुकमनामा मूर्तिब कर कानि. 1571 बिजेन्द्र सिंह को दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु रवाना किया जिसने थोडी देर बाद वापिस आकर बताया कि न्यायालय में गवाही के लिये कानूनी पेचदगीयो के कोई गवाह नहीं मिला। इस पर समय 6.25 PM पर मन SHO मय हमरा जाप्ता के रवाना होकर केन्द्रीय कारागृह के गेट पर पहुंचा जहां पर श्रीमान जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत मिले जिन्होने एक तहरीरी रिपोर्ट क्रमांक कारा/2014/9768–70 दिनांक 1.11.2014 की इस आशय की पेश की कि आज दिनांक 01.11.2014 को विचाराधीन बन्दी सद्दाम पुत्र उम्मेद खाँ से मुलाकात करने के लिये इकबाल पुत्र घासी खॉ निवासी नथूतला थाना पीसांगन आया था। इकबाल पुत्र घासी खाँ अपनी पहचान के लिये आधार कार्ड प्रस्तुत किये जाने पर बन्दी सद्दाम से मुलाकात करवाई गई, के पश्चात इकबाल के द्वारा बन्दी सदाम को देने हेतु एक कपड़े का बैग जिस पर विमल गुटखा लिखा हुआ था प्रस्तुत किया उक्त बैग की गेट मे तलाशी ड्यूटी हेतु तैनात आर.ए.सी. के जवान रतनलाल आरक्षी नं. 849 व गेट मुख्य प्रहरी विनोद कुमार बेल्ट नं. 2796 के द्वारा तलाशी लिये जाने पर बैग में से सेव, कैला, दो अण्डर वियर तथा कुछ काले रंग का संदिग्ध पदार्थ प्राप्त हुआ है जो कि नशीला पदार्थ होने की आशंका है। इस पर मौजूदा श्योजीराम मीणा व रोहित कौशिक को जरिये फर्द सहमति गवाह मामूर कर लिखित सहमति प्राप्त कर जेल अधीक्षक द्वारा पेश बैग मे मिले काले पदार्थ को मन SHO ने चैक किया तो गीला नमी आया हुआ उक्त काला पदार्थ चरस होना पाया गया गवाहन व हमराह जाता के द्वारा भी चैक करने पर चरस होना बताया जिस पर उक्त मिले मादक पदार्थ को इलेक्ट्रानीक काटे से तोला गया तो कुल वजन 190 ग्राम हुआ, इस प्रकार उसका कृत्य अपराध धारा 8/20 NDPS ACT की हद मे आने से कब्जे पुलिस लेकर उक्त मादक पदार्थ

चरस से 50–50 ग्राम चरस वास्ते जॉच रासायनिक सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल पृथक पृथक लिया जाकर पृथक पृथक पारदर्शी थैली मे डालकर पृथक पृथक सफेद कपड़े की थैली मे डालकर मार्का क्रमशः थैली मे रखकर थैली को शिल्ड मोहर कर मार्का A अंकित किया गया तथा एक थैला A1, A2, अंकित किया जाकर जमा मालखाना कराया गया इत्यादि...।

03. उक्तानुसार तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर अंतर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम,1985 (जिसे आगे 'अधिनियम 1985' से सम्बोधित किया जा रहा है) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 405/2014 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण सद्दाम व इकबाल के विरूद्ध क्रमशः अधिनियम, 1985 की धारा 8/20 व 8/29 के तहत आरोप–पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04. बहस चार्ज सुनी गई। अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप बनना पाए जाने पर अभियुक्त को उपरोक्त धारा में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने उपरोक्त आरोप को सुन–समझकर इन्कार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियुक्त इकबाल के गैर हाजिर हो जाने से उसे मफरूर घोषित किया गया व इस प्रक्रम पर मात्र अभियुक्त सद्दाम की हद तक निर्णय किया जा रहा है।

05. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो अभियुक्त ने उसके विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुये कथन किया है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त की ओर से साक्ष्य सफाई बावजूद अवसर पेश नहीं की गई।

06. दोनों पक्षों की बहस अंतिम सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

07. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक ने बहस के दौरान अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य सही और विश्वसनीय बताते हुए, निवेदन किया है कि पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अभियोजन पक्ष की ओर

Authenticated Document

से परीक्षित साक्ष्य अखण्डित रही है, अभियोजन की ओर से पेश किये गये समस्त साक्षीगण द्वारा अभियुक्त के कब्जे से मादक पदार्थ की जब्ती को प्रमाणित किया है तथा समस्त विधिक प्रावधानों की पूर्ण रूप से पालना की गई है, जिसकी पुष्टि अभियोजन पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से होती है, अतः साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने समस्त अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित बताते हुए, अभियुक्त को आरोपित अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

08. इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से मुख्यतः बहस की गई है कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जब्ती अधिकारी व अनुसंधानाधिकारी द्वारा धारा 'अधिनियम 1985' के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, जिसका लाभ अभियुक्त प्राप्त करने का अधिकारी है व प्रावधानों के मुताबिक मात्र राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती की कार्यवाही की जा सकती है। उक्त आज्ञापक प्रावधानों व अन्य आज्ञापक प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया, घटना के संदर्भ में गवाहान में गम्भीर विरोधाभास है एवं अभियुक्त सद्दाम के लिये उक्त मादक पदार्थ लाया जा रहा था यह संदेह से परे साबित नहीं है,प्राप्त इत्तला की फर्द नहीं बनाई गई है, अपराध को कड़ी बद्ध साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है, इसलिए अभियुक्त दोषमुक्ति पाने का अधिकारी है।

09. बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि:–

1– क्या, दिनांक 01.11.2014 को 6.30 पी. एम. के लगभग थानाधिकारी हनुमानाराम विश्नोई ने सेन्ट्रल जेल अजमेर में, अभियुक्त सद्दाम के विचाराधीन बन्दी रहते हुए, उससे मुलाकात करने आये इकबाल द्वारा उसको देने हेतु लाये गये एक कपडे के बैग की नियमानुसार तलाशी ली तो उसमें 190 ग्राम वज़न का काले रंग का मादक पदार्थ चरस बिना वैध अनुज्ञा – पत्र के बरामद हुआ?

2– यदि हाँ, तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ? ''

Authenticated Document

10. उक्त विचारणीय बिन्दू को प्रमाणित करने के क्रम में अभियोजन पक्ष को अपनी मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य से यह सिद्ध करना है कि प्रकरण में बरामदगी/जब्ती अधिकारी द्वारा विधि अनुसार अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना करते हुऐ अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ चरस की बरामदगी की गई तथा अभियुक्त के पास अवैध मादक पदार्थ रखने का कोई लाईसेंस व परमिट नहीं था।

11. अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ अफीम की बरामदगी के बिन्दू को साबित करने के क्रम में प्रकरण के जब्ती अधिकारी हनुमाना राम, पी. डब्ल्यू. 18 को परीक्षित करवाया गया है, जिसने अपनी सशपथ साक्ष्य में कथन किये है कि वह दिनांक 01.11.2014 थानाधिकारी, सिविल लाईन्स, अजमेर के पद पर कार्यरत था, उस दिन केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से समय लगभग 6:05 पी. एम. पर जरिये टेलीफोन इत्तला दी गई कि सददाम पुत्र उम्मेद खा विचाराधीन बंदी से मुलाकात करने इकबाल पुत्र घासी आया, इकबाल द्वारा सददाम को एक कपडे का बैग देने के लिए दिया, जिसे गेट मेन द्वारा कपडे का बेग दिये जाने पर बेग मे सेव, केला, दो अंडरवियर तथा कुछ काले रंग का संदिग्ध पदार्थ मिला, पदार्थ नशीला होने की आंशका है, उक्त इत्तला पृथक से मूर्तिब की जाकर विशेष वाहक हरभानसिंह कानि. को पुलिस अधीक्षक व वृताधिकारी वृत उत्तर अजमेर को सूचना देने हेतु रवाना कर वह मय हैडकानि. राजकुमार, कानि. विजेन्द्रसिंह मय अनुसंधान बाक्स व सरकारी जीप चालक महेन्द्रसिंह के थाने से 6.15 पी.एम. पर रवाना होकर सेन्ट्रल जेल तिराहा पहुंचा जहां पर हुक्मनामा मुर्तिब कर कानि. विजेन्द्रसिंह को दो स्वतन्त्र गवाह लाने हेतु भेजा थोडी देर बाद वापस आकर विजेन्द्रसिंह ने बताया कि कानूनी पेचिदगियो के कारण कोई गवाह बनना नहीं चाहता है। जिस पर 6.25 पी. एम. पर मय जाप्ता के रवाना होकर केन्द्रीय कारागृह पहुंचा जहां जेल अधीक्षक प्रदीप मिले जिसने एक तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 1–11–14 की पेश की विचाराधीन बंदी सददाम से मुलाकात करने आया इकबाल पुत्र घांसी के द्वारा अपनी पहचान का आधारकार्ड प्रस्तुत करने पर बंदी सददाम से मुलाकात करवायी गयी थी, मुलाकात करने के पश्चात इकबाल के द्वारा बंदी सददाम को देने हेतु एक कपडे का बेग जिस पर विमल गुटका लिखा था, प्रस्तुत किया, उस बैग को डयूटी गेट पर

तैनात जवान रतनलाल व मुख्य प्रहरी विनोद कुमार के द्वारा तलाशी लिये जाने पर बेग मे सेव, केला व 2 अंडरवियर व कुछ काले रंग का संदिग्ध पदार्थ बरामद हुआ। जो नशीला पदार्थ होने की आंशका थी। जिस पर मोजूद श्योजीराम व रोहित कौशिक को जरिये फर्द सहमति गवाह मामूर कर लिखित मे सहमति प्राप्त कर जेल अधीक्षक द्वारा बैग मे मिले काले पदार्थ को उसने चैक किया तो नमीयुक्त काला पदार्थ चरस होना पाया। गवाहन व जाप्ते द्वारा चैक करने पर चरस होना पाया, उक्त मादक पदार्थ को इलेक्ट्रोनिक काटे से तोला गया तो वजन 190 ग्राम पाया गया। अभियुक्त का कृत्य धारा 8/20 एन. डी. पी. एस. एक्ट की हद मे पाये जाने पर 50–50 ग्राम नमूना सेम्पल व कन्ट्रोल सेम्पल लिया जाकर मार्का ए–01 व 02 अंकित कर शेष बचे मादक पदार्थ 90 ग्राम को सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्का ए अंकित किया। सील पैकेटो पर चिट चेपा कर नमूना सील अंकित की, बाद कार्यवाही फर्द सील नष्टीकरण मूर्तिब कर सम्पूर्ण कार्यवाही वापसी थाना पर मु.न. 405 / 14 दर्ज कर तफतीश एस.पी. के टेलीफोन वार्ता अनुसार एस.एच.ओ. कोतवाली जितेन्द्र गगवानी को तफतीश सुपुर्द की, फर्द सहमति गवाह श्योजीराम प्रदर्श पी–47 है, जब्ती मादक पदार्थ चरस प्रदर्श पी–2 है, फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–4, उसकी निशादेही से अनुसंधान अधिकारी ने नक्शा मौका प्रदर्श पी – 6 बनाया, धारा 42 एन.डी.पी.एस.एक्ट की सूचना प्रदर्श पी–27 है, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी–22 ए व 23 ए, धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना पुलिस अधीक्षक को जो दी गयी वह प्रदर्श पी – 24 है, फर्द सहमति गवाह रोहित कोशिक प्रदर्श पी – 28, हुकमनामा प्रदर्श पी–29, चाक एफ. आई. आर. प्रदर्श पी 48, रोजनामचा रपट थाने से रवानगी प्रदर्श पी 50 व फर्द इत्तला जरिये टेलीफोन प्रदर्श पी 51 है पर उसके हस्ताक्षर है। बाद अनुसंधान पत्रावली उसके समक्ष प्रस्तुत हुयी, मुलजिमान सददाम व इकबाल के खिलाफ न्यायालय मे चार्जशीट पेश की गयी।

उक्त गवाह हनुमाना राम का प्रतिपरीक्षण के दौरान कथन रहे है कि यह बात सही है कि जो इत्तला मुझे जेल से प्रदीप लखावत द्वारा मिली इस इत्तला की मैंने अलग से कोई फर्द नही बनाई केवल रोजनामचे मे इन्द्राज किया, जिसकी नकल शामिल पत्रावली है। उक्त इत्तला के अनुसार बैग सद्दाम को नही मिला। यह बात सही है कि जेल मै कैमरे लगे हुए

है। यह कहना सही है कि जेल वालों ने जो बैग की तलासी ली उसकी रिकॉडिंग या विडियो मैंने नहीं देखा क्योंकि यह तफतीश का हिस्सा था। यह बात सही है कि मैने कोई बरामदगी नहीं कि मेरे सामने ही जेल कर्मचारीयों ने संदिग्ध माल को पेश किया। स्वतंत्र गवाह एवं राजपत्रित अधिकारीयों को गवाह बनाने का प्रयास किया गया था लेकिन कोई तैयार नही हुआ। यह बात सही है कि उक्त प्रकरण की फर्दे मेरी हस्तकलमी नही है मेरे निर्देशन में एचसी विजेन्द्र के द्वारा लिखी गई। यह बात सही है कि विजेन्द्र के द्वारा मेरे निर्देशन मे लिखा पढ़ी करने का कोई अंकन नही है। इस प्रकरण की इन्वेंट्री मेरे द्वारा नहीं बनाई गई। अनुसंधान अधिकारी का अनुसंधान हेतु थाने पर आने–जाने का रोजनाचाम रपट पत्रावली पर नही है। यह कहना गलत है कि जेल अधिकारीयों द्वारा दी गई झूठी सूचना पर मैंने कार्यवाही की हो।

12. पी. डब्ल्यू. 1 श्योजीराम मीणा जब्त शुदा माल के संदर्भ में मौके का गवाह है जो अपने सशपथ बयानों से जब्ती अधिकारी, पी. डब्ल्यू. 18 हनुमानाराम के कथनों की ताईद करते हुऐ यह कथन करता है कि वह दिनांक 01–11– 2014 को केन्द्रीय कारागृह, अजमेर मे जेलर के पद पर पदस्थापित था, उस दिन विनोद कुमार मुख्य प्रहरी एवं मुख्य तलाशी पर तैनात कांस्टेबल रतनलाल एवं सुरक्षा गार्ड चैकिंग अधिकारी दिलीपसिंह ने एक कपडे का बैग पेश कर बताया कि यह बैग मुख्य गेट पर रतनलाल आरक्षी द्वारा तलाशी लिये जाने पर बेग मे सेव, केले दो अंडरवियर व अन्य सामान चैक किया, बैग के थेले के पेंदे मे डल सिलाई थी जिसे एक तरफ से खोल कर देखा तो काले रंग का हल्का गीला पदार्थ मिला, उक्त पदार्थ मादक पदार्थ होने की आंशका होने पर रतनलाल व विनोद कुमार उक्त थेले को तत्कालीन उपअधीक्षक जेल प्रदीप सिंह लखावत के समक्ष पेश कर जानकारी दी। बताया कि यह थैली विचाराधीन कैदी सददाम उर्फ लाला से मुलाकात करने आये इकबाल पुत्र घासी जिसने मुलाकात की पर्ची बनवायी, उसने दिया। उसके बाद फर्द सहमति ली जो प्रदर्श–पी–1 है फर्द जब्ती मादक पदार्थ प्रदर्श पी – 2 व नमूना सील प्रदर्श पी–3 तथा फर्द नष्टीकरण नमूना सील प्रदर्श पी – 4 है जिन सभी पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

Authenticated Document

दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने कथन किये है कि मुलाकाती जेल में मुलाकात कक्ष तक ही जा सकता है, मुलाकाती जो सामान देने आता है उसके सामने ही सामान की तलाशी ली जाती है । गेट व सडक के मुख्य गेट के बीच लगभग 70 फुट की दूरी है, मुख्य सडक के गेट पर पूरा जाप्ता रहता है । यह सही है कि सामान देने वाले व्यक्ति इकबाल को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था । यह सही है कि जेल मेन्यूएल के अनुसार सामान देने आने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, यह मेरी जानकारी में नहीं है कि मुलजिम इकबाल की तलाशी ली गई या नहीं । यह सही है कि मेन गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुऐ हैं । यह मेरे का पता नहीं कि पत्रावली पर सीसीटीवी फुटेज पेश की गई हो । यह सही है कि थैले में सामान लाने व सुपुर्द करने की कार्यवाही मेरे सामने नहीं हुई । यह सही है कि मुलजिम इकबाल को मैंने नहीं देखा और न ही मैं उसको जानता हूँ।

13– उक्त क्रम में गवाह पी.डब्ल्यू **3** रोहित कौशिक का कथन है कि वह उस समय अजमेर में सहायक कारापाल जिला कारागृह अजमेर में पदस्थापित था। दिनांक 01.11.2014 को विनोद कुमार मुख्य प्रहरी एवं मुख्य तलाशी ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल रतनलाल आर ए सी व सुरक्षा चैकिंग अधिकारी दिलीप सिंह हैड कांस्टेबल आर ए सी ने एक कपडे का थैला पेश कर बताया कि गेट पर तलाशी लेते वक्त उस बैग में सेव केला, अण्डरवियर व अन्य सामान चैक किया उसके पश्चात् बैंग थैले के पैंदे में डबल सिलाई को एक तरफ से उधेड कर देखा तो काले रंग का हल्का गीला पदार्थ मिला जो संदिग्ध लगा। मैंने उपरोक्त व्यक्तियों के साथ उक्त पदार्थ को उपअधीक्षक जेल प्रदीप लखावत के सम्मुख गये और उसमें काले भूरे रंग का नशीला पदार्थ होने की आशंका से उन्हें अवगत करवाया। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त सामान विचाराधीन बन्दी सद्दाम पुत्र उम्मेद खां से मुलाकात करने आये इकबाल पुत्र घासी खां निवासी नत्थूतला थाना पीसांगन जो करीब सुबह दस साढे दस बजे जिसने मुलाकात की पर्ची बनवाई थी वो मुलाकाती व्यक्ति उक्त बैग देकर गया। अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना सिविल लाईन को सूचित किया गया। उसके बाद पुलिस आई पुलिस को उक्त बैग पेश किया उसके बाद पुलिस ने हमसे स्वतंत्र गवाह बनने के लिये कहा जिस पर मैंने अपनी सहमति दी। फर्द सहमति प्रदर्श पी–28 है जिसपर

मेरी सहमति व हस्ताक्षर का अंकन ए से बी है। उसके पश्चात् पुलिस ने हमारे सामने उक्त माल की तलाशी ली फर्द पेशकशी व जब्ती मादक पदार्थ प्रदर्श पी –2 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे सामने उकत जप्ती की कार्यवाही हुई जिसे सील चपडी किया फर्द नष्टीकरण सील प्रदर्श पी–4 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं। फर्द बरामदगी घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–6 पर सी से डी मेरे हस्ताक्षर हैं।

दौराने प्रतिपरीक्षण उक्त गवाह ने कथन किये है कि दिनांक 01.11.2014 को मैं जेल में उपस्थित था उस बाबत कोई हाजरी रजिस्टर आज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और आज ना ही मैं साथ लाया हूं। यह कहना सही है कि आरएसी के कर्मचारी जो गेट पर तैनात थे उन्होंने ही बैग से सामान निकाल कर मुझे बताया था। यह कहना सही है कि ऐसी कोई घटना होती तो वो सीसी टीवी में दर्ज होती। प्रदर्श पी–28 की सी से डी इबारत किसकी कलमी है मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्श पी–2, पी–4, पी–6 किसने और कहां लिखी मुझे जानकारी नहीं है। यह कहना सही है कि यदि बैग के साथ कोई पर्ची होती और मैं देखता तो वो कैमरे में कैद हो जाता। यह बात सही है कि कोट गेट पर जहां मुलजिमान को सामान दिया जाता है वहां से उक्त बैग के सम्बन्ध में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। यह बात सही है कि उस समय मुलजिम सद्दाम और जो व्यक्ति बैग लेकर आया दोनों मौके पर नहीं थे।

14– वरवक्त घटना केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में कानि. उपसुरक्षा, कारागृह के पद पर तैनात रतनलाल, पी.डब्ल्यू 9 ने कथन किया है कि दिनांक 01.11.2014 को तलाशी में विनोद कुमार जेल प्रहरी ने गेट में प्रवेश किया तो उनकी तलाशी ली तो उसमें एप्पल,केले, कोलगेट, व अन्डरवियर बनियान पाया गया। बैग भारी होने के कारण उसको फिर से तलाशी ली और सारा खाली करवाया गया और चैक किया। मैने अपने इन्चार्ज दिलीप सिंह को बताया। वे बैग को लेकर जेलर साहब के पास गये। उन्होने बैग को नीचे से उधेडा। उसके अन्दर एक भूरा बादाम रंग की वस्तु पाई तो सिविल लाईन सूचना दी गई। उसका वजन किया गया तो उसका वजन 190 ग्राम होना पाया। जिसमें से 50–50 ग्राम के दो पैकट बनाये गये और सील चिट किया गया। मालूम किया तो वह चरस पाई गई। बैग को

जेल प्रहरी विनोद कुमार ने गेट से लाकर बैग दिया था। पर्ची के आधार पर मुल्जिम सामान अन्दर जाता है। उसके बाद एफआईआर सिविल लाईन थाने पर दर्ज की गई।

प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये है कि यह कहना सही है कि जेल में कैमरे भी लगे हुए है। सामान के साथ आई पर्ची को बैग में डालकर दे दी थी। थाने पर अधीक्षक महोदय ने रिपोर्ट लिख कर दी थी और मैने भी एक एप्लीकेशन लिखकर थाने पर दी थी। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा लिखी गई उक्त एप्लीकेशन आज पत्रावली पर मौजूद नही है। यह कहना सही है कि अधीक्षक महोदय द्वारा थाने पर दी गई रिपोर्ट भी आज पत्रावली पर मोजूद नही है। यह कहना सही है कि मै थाने पर अधिकारियों के कहने से ही गया था। यह कहना सही है कि उस दिन मेरे डयूटी पर होने बाबत् हाजरी रजिस्टर पत्रावली पर नही है और ना ही मै आज साथ लाया हूॅ। यह कहना सही है कि जब मुझे बैग दिया गया उस समय अन्दर से कोई मुल्जिम बैग लेने नही आया था। यह कहना सही है कि मै अन्दर की तरफ था इसलिए मुझे पता नही है कि विनोद प्रहरी को बैग किसने दिया था। यह कहना सही है कि बाहर गेट पर सामान की बनाये जाने वाली लिस्ट मैने नही देखी थी।

15– पी.डब्ल्यू 5 राजकुमार का कथन है कि दिनांक 01.11.2014 को वह थाना सिविल लाईन पर हैड कानि के पद पर कार्यरत था। उस दिन एस एचओ हनुमाना राम को जेल अजमेर से जरिये टेलफोन इत्तला मिली की बंदी सद्दाम से मुलाकात के दौरान् ईकबाल ने बंदी के लिए सामान जमा करवाया उसमें एक नशीला पदार्थ भी मिला है, कार्यवाही हेतु आवें। इस पर वह, हनुमाना राम कानि, विजेन्द्र मय सरकारी जीप चालक महेन्द्र के रवाना होकर जेल तिराहे पर आये जहॉ पर एसएचओ साहब ने कानि विजेन्द्र को दो गवाह लाने हेतु हुकमनामा लिख कर दिया। कानि विजेन्द्र ने थोडी देर बाद आकर बताया कि कोई गवाह नही मिला। जेल तिराहे से रवाना होकर जेल में गये जहॉ पर जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत मिले जिन्होने एसएचओ साहब को एक लिखित तहरीर दी थी जिस पर एसएचओ साहब ने मौके पर उपस्थित जेलर श्योजी राम व रोहित कौशिक को गवाह मामूर किया व अधीक्षक द्वारा पेश बैग को चैक किया तो उसमें सेवा केला दो अण्डरवियर व एक काला नमी आया हुआ पदार्थ मिला जिसको चैक किया तो चरस होना पया गया जिसका इलैक्ट्रोनिक कांटे से

Authenticated Document

तोल किया तो कुल वजन 190 ग्राम हुआ जिसमें से 50–50 ग्राम रासायनिक सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पली निकाल कर मार्का ए–1 व ए–2 डाला गया शेष बची चरस को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर किया। जिरह के दौरान इस गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि एस एच ओ ने धारा 42 की सूचना देकर उसे नहीं भेजा।

16– गवाह पी.डब्ल्यू 8 दिलीप सिंह ने सशपथ साक्ष्य दी है कि दिनांक 1–11–14 को वह केन्द्रीय कारागृह, अजमेर मे जेल सुरक्षा व्यवस्था मे कार्यरत था। उस दिन उसकी डयूटी जेल सुरक्षा में तैनात सुरक्षा गार्ड को चैक करने की थी, सुबह 11 बजे वह मुख्य गेट के बाहर खड़ा था, उस समय मुख्य गेट पर बंदियो से मुलाकात करने उनके परिजन आये, उनके सामान की तलाशी डयूटी पर तैनात आरक्षी रतनलाल ने ली थी, उसने उसे आवाज देकर गेट के पास बुलाया व कहा कि बंदी सददाम के लिए सामान है, सामान के बेग की तलाशी के दौरान बेंग के पेदे मे मोटा–मोटा एक पदार्थ लग रहा है, उसकी सिलाई उधेडी तो उसमे काले भूरे रंग का गीला पदार्थ मिला। विनोद कुमार, रतनलाल तथा वह उक्त बैग को जेल सुप्रीटेंडेंट के पास लेकर गये, व कम्पनी के अधिकारियो को सूचित किया। अधिकारियो द्वारा चैक करने पर पता चला कि वह मादक पदार्थ था।

17– गवाह पी.डब्ल्यू 10 मनमोहन शर्मा का कथन है कि वह दिनांक 1–11–14 को उसका केन्द्रीय कारागृह, अजमेर मे मुलाकाती पर्ची का ठेका था। उस दिन सुबह करीब 10 बजे मुलाकात करने हेतु इकबाल नाम का व्यक्ति आया जिसकी उसने आई.डी. चैक की व मुलाकाती पर्ची कम्पयूटर कक्ष की खिडकी पर भिजवायी। बाद मे पता चला कि मुलाकाती इकबाल द्वारा सददाम के लिये लाये गये सामान की तलाशी मे थेले की सिलाई में मादक पदार्थ चरस मिली थी।

18– गवाह पी.डब्ल्यू 11 अजीत सिंह सोलंकी का कथन है कि दिनांक 1–11–14 को उसकी डयूटी मुलाकात कक्ष मे कम्प्यूटर आपरेटर केन्द्रीय कारागृह अजमेर मे आनलाईन पर्ची बनाने हेतु लगी थी। बाहर एक ठेकेदार होता है जो परिसर के अंदर पर्ची भरने के लिए होता है, जिसने पर्ची भरकर मुलाकाती इन्द्राज करवाने के लिए कम्प्यूटर कक्ष

Authenticated Document

के बाहर खिडकी पर आता है, परिजन जो भी मिलने आता है बंदी का नाम व पता पूछकर उसकी आनलाईन पर्ची बनायी जाती है। दिनांक 1–11–14 को समय करीब 10.30 बजे के आसपास विचाराधीन बंदी सददाम से मिलने मुलाकाती इकबाल आया जिसकी पर्ची उसने आनलाईन बनायी थी। सभी पर्ची बनाकर मुलाकात हेतु जेल गेट के अंदर भिजवा दी गयी थी।

19– गवाह पी.डब्ल्यू 13 भगवत सिंह का कथन है कि दिनांक 10–4–16 को वह थाना कोतवाली पर कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन मु.न. 405/14 थाना सिविल लाईन मे थानधिकारी सुरेश सोनी उपनिरीक्षक ने उसके व कानि.भागचंद के समक्ष मुलजिम इकबाल को जरिये प्रदर्श पी – 28 गिरफ्तार किया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, मुलजिम के हस्ताक्षर करवाये थे। प्रदर्श पी – 28 पर सी से डी गवाह भागचंद के व इ से एफ एस.एच.ओ. के हस्ताक्षर है।

20– उक्त संदर्भ में गवाह विजेन्द्र सिंह पी. डब्ल्यू. 14 का सशपथ कथन रहा है कि वह दिनांक 1–11–14 को थाना सिविल लाईन पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन 6.05 पी.एम. पर एस.एच.ओ हनुमानाराम, एस.आई को प्रदीप लखावत जेल अधीक्षक ने इत्तला दी कि आज विचाराधीन बंदी सदाम से मुलाकात के लिए इकबाल आया जिसने बंदी के लिए बेग पेश किया जिसमे सेव केला 02 अंडरवियर व एक काले रंग की पदार्थ की थेली थी जो तलाशी मे कानि. को बेग मे मिली, जो नशीला पदार्थ की इत्तला होने पर धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की सूचना मूर्तिब कर कानि हरबान के साथ एस.पी. व सी.ओ को भिजवायी, एस.एच.ओ. हनुमानाराम के साथ हैड कानि. राजकुमार, वह, महेन्द्र कानि, मय अनुसंधान बाक्स के थाने से केन्द्रीय कारागृह पहुंचे जहां एस.एच.ओ. ने गवाह लाने के लिए हुकमनामा मूर्तिब कर उसे दिया, कानूनी पेचिदगियो के कारण गवाह नहीं मिलने पर उसने रिपोर्ट व हुकमनामा पेश किया। जिसके बाद करीब 6.30 पी.एम पर जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत ने तहरीरी रिपोर्ट पेश की जिसमे बंदी सददाम हुसैन से मुलाकात के र्लिए इकबाल का आधार काड प्रस्तुत किया व उसके द्वारा पेश कपडे के बेग मे सेव केला 2 अंडरवियर व काले रंग की पदार्थ की थेली जॉच मे मिलना बताया, बेग की तलाशी कानि.

रतनलाल व मुख्य प्रहरी विनोद कुमार द्वारा लेना बताया। जिसमे नशीला पदार्थ होने पर श्योजीराम जेलर, रोहित कोशिक को जरिये फर्द सहमति के गवाह मामूर कर लिखित सहमति प्रापत कर जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत बेग मे मिले काले पदार्थ को एस.एच.ओ. ने चैक किया तो उक्त काला पदार्थ चरस होना पाया गया जिसका इलेक्ट्रोनिक कांटे से वजन किया तो 190 ग्राम होना पाया। जिसमे से 50–50 ग्राम एफ.एस.एल. व कन्ट्रोल सम्पेल हेतु अलग अलग कर पृथक पृथक थैलियो मे सीलमोहर कर मार्का ए–1 व ए–2 दिया व बची चरस को मार्का ए दिया। थेले जिस पर विमल गुटका लिखा था अलग कपडे की थैली मे सीलामोहर कर मार्का बी अंकित किया। फर्द मूर्तिब कर सील को जरिये फर्द नष्टीकरण नष्ट किया। मौके की कार्यवाही कर थाने पर वापस आये व एस.एच.ओ. ने मुकदमा दर्ज कराया। हुकमनामा प्रदर्श पी – 29 पर ए से बी उसके व सी से डी हनुमानाराम के हस्ताक्षर है। फर्द जब्ती मादक पदार्थ प्रदर्श पी–2 व फर्द पुनः रिसील्ड पैकट प्रदर्श पी–5 पर उसके हस्ताक्षर है।

प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने कथन किये है कि दिनांक 31.10.2014 को थाने पर वापस वह कब आया काफी समय होने की वजह से आज उसे याद नहीं है। दिनांक 01.11.2014 को मैं थाने पर कब आया इसका भी कोई रिकॅार्ड आज मैं साथ लेकर नहीं आया हूं और ना ही पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज है। इस मुकदमें की रवानगी पत्रावली पर संलग्न है। दिनांक 01.11.2014 को मै पुलिस थाना सिविल लाईन पर पदस्थापित था ऐसा कोई हाजरी रजिस्टर मैं आज साथ लेकर नहीं आया हूं। मेरी रोजनामचा में उपस्थित थी। यह बात सही है कि रोजनामचे में आमद रवानगी अंकित होती है और अवकाश पर रहने पर उसका भी अंकन होता है। रोल कॉल होता है जिसमें हाजरी होती है और कोई गैर हाजिर होता है तो रोजनामचे में रपट अंकित की जाती है। वह रोजनामचा रपट आज मैं साथ लेकर नहीं आया हूं। धारा 42 एनडीपीएस एक्ट की इत्तला लिखी किसने थी आज मुझे याद नहीं है।

21– गवाह भागचंद ने पी. डब्ल्यू. 15 के रूप में परीक्षित हो सशपथ कथन किया है कि दिनांक 11–11–14 को वह थाना कोतवाली पर कांस्टेबल के पद पर तैनात था।

उस दिन पुलिस थाना सिविल लाईन के मु.न. 405/14 मे जितेन्द्र थानाधिकारी कोतवाली ने मुलजिम सददाम उर्फ लाला को उसके व लक्ष्मण के सामने केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर जरिये प्रदर्श पी – 27 गिरफ्तार किया जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 10–4–16 को सुरेश सोनी थानाधिकारी कोतवाली ने उसमे व भगवतसिंह कानि. के सामने मुलजिम इकबाल को जरिये प्रदर्श पी–28 कोतवाली थाने पर गिरफ्तार किया जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है।

22– प्रस्तुत मामले में उभयपक्षकारान् की बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अवलोकन करने एवं संक्षेप में विवेचन करने के पश्चात् प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कहानी के मुताबिक अभियुक्त सद्दाम, विचाराधीन कैदी से केन्द्रीय कारागृह से मिलने इकबाल आया, इकबाल के द्वारा बन्दी सद्दाम को देने हेतु एक कपडे का बैग प्रस्तुत किया था। उक्त बैग की गैट मैन तलाशी ड्युटी तैनात RAC आरक्षीगण के द्वारा लिये जाने पर बैग में सेव, कैला, दो अण्डर वियर तथा कुछ काले रंग का संदिग्ध पदार्थ मिला, काले पदार्थ को चैक किया तो गीला नमी आया हुआ उक्त काला पदार्थ चरस होना पाया गया, जिस मादक पदार्थ को इलेक्ट्रानिक काटे से तोला गया तो कुल वजन 190 ग्राम हुआ। उक्त समस्त घटनाक्रम के मध्येनजर अभियोजन को अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करना है कि क्या अभियुक्त सद्दाम के विचाराधीन बंदी रहते हुए, उससे मुलाकात करने आये इकबाल द्वारा उसको देने हेतु लाये गये कपड़े के बेग की तलाशी में 190 ग्राम वजन का काले रंग का मादक पदार्थ चरस बिना वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद हुआ हों?

23– उक्त संदर्भ में उक्त वर्णित साक्ष्य के अनुसार उल्लेखनीय है कि सह अभियुक्त इकबाल उर्फ बीरा, अभियुक्त सद्दाम से जेल मिलने आया, मुलाकात कराने के पश्चात् सह–अभियुक्त इकबाल के द्वारा अभियुक्त सद्दाम को देने के लिये कपड़े का बेग प्रस्तुत किया गया है, जिसकी तलाशी जेल के मैन्युअल से नियमानुसार ली जाती है तथा उस तलाशी के दौरान उस बेग में मादक पदार्थ चरस पाया गया, उस दौरान सह–अभियुक्त इकबाल वहां से भाग गया। जेल के नियमों के अनुसार किसी भी बन्दी अभियुक्त को कोई सामान देने से पूर्व

उसकी तलाशी ली जाती है, इसी कारण से वास्तविक रूप से उक्त थैला अभियुक्त सद्दाम के हाथ में नहीं पहुंचा तथा नियमानुसार तलाशी लेने के कारण ही बिना अभियुक्त सद्दाम के हाथ में थैला पहुंचे उसमें से मादक पदार्थ चरस बरामद होना बताया गया। मामले में जब्ती के समय अभियुक्त इकबाल के कब्जे से थैले की चैकिंग करने वाले गवाह रतनलाल को पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित करवाया गया। उक्त गवाह ने अपने सशपथ कथनों के दौरान स्पष्ट रूप से कथन किये है कि वह और विनोद कुमार केन्द्रीय कारागृह, अजमेर पर दिनांक 01.11.2014 को सुरक्षा हेतु तैनात थे और डयूटी के दौरान बंदियों को दिये गये सामान को जेल नियमों के अनुसार चैक कर रहे थे तो बैग की तलाशी ली जिसमें एप्पल, केले, कोलगेट व अन्डरवीयर व बनियान पाया गया व बैग भारी होने के कारण उस बैग को जेलर के पास लेकर गये व बैग को नीचे से उधेड़ा तो उसके अन्दर बादामी रंग की वस्तु पाई जो 190 ग्राम चरस थी। जिसकी सूचना थाना सिविल लाईन्स, अजमेर को दी। सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी जाब्ते के साथ केन्द्रीय कारागृह पहुंचे, जेल अधीक्षक से मिले, जिन्होंने एक तहरीरी रिपोर्ट दी, जिस पर श्योजीराम व रोहित कोशिक से प्रकरण में स्वतन्त्र गवाह बनने हेतु सहमति मांगी, जिस पर लिखित में स्वेच्छया सहमति प्रदान की। तदुपरांत प्रस्तुत बैग को चैक किया तो उसमें नमीयुक्त काला पदार्थ चरस होना पाया गया, जिसका इलेक्ट्रोनिक कांटे पर तोल करने पर उसका वजन 190 ग्राम हुआ, जिसमें से नमूने निकाले गये।

24– सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने वाले जेल कर्मी, प्रदीप लखावत को अभियोजन ने तर्क किया है, साथ ही उक्त कार्मिक द्वारा दी गई इत्तला की अलग से फर्द मुर्तिब नहीं की गई है। उक्त संदर्भ में मामूर साक्षी श्योजीराम मीणा ने पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में परीक्षित हो अपने मुख्य कथनों से घटना की ताईद की है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान स्पष्टतः कथन किया है कि यह सही है कि सामान बंदी सद्दाम तक नहीं पहुंचा था, और न ही बंदी को ये बात पता थी कि यह सामान उसके लिऐ है। उक्त परिप्रेक्ष्य में अन्य मामूर गवाह गवाह रोहित कौशिक ने पी. डब्ल्यू. 7 के रूप में परीक्षित हो मुख्य परीक्षण में घटना की ताईद की है परन्तु जिरह में स्पष्टतः स्वीकारा है कि कोट गेट पर जहां मुलजिमान को सामान दिया जाता है, वहां से उक्त बैग के संबंध में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई व उस समय

मुलजिम सद्दाम और जो बेग लेकर इकबाल आया, दोनों मौके पर नहीं थे। इस संबंध में जब्ती अधिकारी पी. डब्ल्यू. 18 हनुमानाराम के बयान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते है, जिन्होंने मुख्य परीक्षण के दौरान समक्ष घटनाक्रम की ताईद की है एवं प्रतिपरीक्षण में मुख्यतः यह कथन किया है कि इत्तला के अनुसार बेग सद्दाम को नहीं मिला, जिस परिप्रेक्ष्य में अनुसंधानाधिकारी जितेन्द्र कुमार के बयान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते है, जिन्होंने पी. डब्ल्यू. 2 के रूप में परीक्षित हो पुलिस थाना सिविल लाईन पर दर्ज अभियोग सं. 405/14 का अनुसंधान प्राप्त होने के कथन कर जाहिर किया है कि अनुसंधान से अभियुक्त सदाम उर्फ लाला के विरूद्ध धारा 8/ 20 एन.डी.पी.एस. एक्ट व इकाबल के विरूद्ध धारा 8/29 एन. डी. पी. एस. एक्ट प्रमाणित पाया गया। अभियुक्त इकाबल रूहपोष चल रहा है, जिसके विरूद्ध अनुसंधान धारा 173 के तहत लंबित रखा गया व अभियुक्त सददाम के विरूद्ध आरोप पत्र थानाधिकारी सिविल लाईन द्वारा पेश किया गया। प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह ने मुख्यतः जाहिर किया है कि यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण का माल सद्दाम के पास नहीं पहुचा था और ना ही उससे बरामद हुआ था। यह कहना सही है कि पत्रावली मुझे उसी समय प्राप्त हो गई थी लेकिन मैने 57 की सूचना उच्च अधिकारी को नही भेजी। यह कहना सही है कि सिविल लाईन थाने वाले पहुचे उससे पहले माल बरामद हो चुका था। सिविल लाईन थाने वालों ने स्वयं कोई माल बरामद नहीं किया। यह कहना सही है कि मेरे अनुसंधान से सद्दाम के खिलाफ कोई प्रकरण बनता हो, ऐसा नतीजे की फर्द मैने पेश नहीं की है।

25– उक्त समस्त गवाहान के कथनों के समग्र विश्लेषण से अभियुक्त सद्दाम के कब्जे में मादक पदार्थ पहुंचा हों व उसके पास से बिना किसी अनुज्ञा पत्र के मादक पदार्थ बरामद किया गया हो, यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। विधि की यह मंशा है कि अभियोजन अपने मामले को ठोस, प्रभावी एवं विश्वसनीय रूप से साक्ष्य से साबित करें, परन्तु इस संदर्भ में अभियोजन पक्ष की उक्त समक्ष मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि बरामद शुदा मादक पदार्थ चरस अभियुक्त सद्दाम के

पास पहुंचा हो एवं उससे बरामद किया गया हों। जिस क्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा जेल रजिस्टर की प्रति प्रदर्श 17, प्रिजनर डिटेल प्रदर्श 16, 14 व 13 एवं साक्षात्कार प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी–15 की प्रतियों को अवश्य प्रमाणित करवाया है, जिससे भी अभियुक्त सद्दाम मामले में संलिप्तता संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।

26– जहाँ तक जब्ती अधिकारी द्वारा अधिनियम के आज्ञापक विधिक प्रावधानों की पालना करने का प्रश्न है। उक्त क्रम में उक्त अधिनियम, 1985 की धारा 50 के विधिक प्रावधानों को देखा गया, जिसके मुताबिक जब धारा 42 अधिनियम, 1985 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 41, 42 या 43 अधिनियम, 1985 के उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है, तब वह ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा करें तो अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 अधिनियम, 1985 में उल्लेखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जाऐगी। उक्त प्रावधानों के मध्येनजर जहाँ तक धारा 50 अधिनियम, 1985 की आज्ञापक पालना का प्रश्न है, यह व्यक्तिगत तलाशी पर ही लागू होती है, अर्थात यदि अभियुक्त की व्यक्तिगत तलाशी ली गई है तो धारा 50 अधिनियम, 1985 का प्रावधान उस स्थिति में आज्ञापक है।

27– उक्त अधिनियम, 1985 की धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के प्रश्न पर विचार किया गया। प्रस्तुत मामले में कथित अवैध मादक पदार्थ की जहाँ से बरामदगी हुई है वह निजी स्थान न होकर जेल परिसर है। ऐसी स्थिति में अधिनियम, 1985 की धारा 42 (1) के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है। जहां तक उक्त अधिनियम की धारा 42 (2) के आज्ञापक प्रावधान का प्रश्न है, इस संबंध में पत्रावली पर हरबान सिंह, पी. डब्ल्यू. 4 की साक्ष्य महत्वपूर्ण है, उक्त साक्षी ने अपने सशपथ कथनों में स्पष्ट रूप से यह जाहिर किया है कि दिनांक 01.11.2014 को वह पुलिस थाना सिविल लाईन पर कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे थानाधिकारी महोदय ने एक पत्र व दो बंद लिफाफे दिये जो उसने ले जाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दिये, पत्र प्रदर्श पी–21 है, जिस पर प्राप्ति का पृष्ठांकन है। थाने से उसकी रवानगी रोजनामचे में इन्द्राज 01.11.2014 का प्रदर्श पी–22 है जिसकी नकल रपट पत्रावली पर प्रदर्श पी–22 ए है। उसकी थाने पर वापसी का इन्द्राज प्रदर्श पी–

23 है जिसकी पत्रावली नकल रपट प्रदर्श पी–23 ए है। वह दिनांक 02.11.2014 को पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया वहॉ से मुझे प्राप्ति रसीद प्राप्त हुई जो सूचना धारा 57 एनडीपीएस एक्ट है जो प्रदर्श पी–24 है। उसकी थाने से रवानगी दिनांक 02.11.2014 की प्रदर्श पी–25 है जिसकी नकल रपट प्रदर्श पी–25 ए है और थाने पर वापसी प्रदर्श पी–26 है जिसकी नकल रपट प्रदर्श पी–26 ए है। अर्थात उक्त गवाह के बयानों से स्पष्ट है कि जब्ती अधिकारी द्वारा धारा 42 व 57 अधिनियम, 1985 की सम्पूर्ण कार्यवाही अमल में लाई गई है एवं सूचना उच्चाधिकारियों को विधि अनुसार विहित अधिनियम में कर दिया जाना स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है।

28– अतः प्रकरण में उक्त अधिनियम, 1985 की धारा 42 व 57 की पालना विधि अनुसार की गई है, यह संदेह से परे प्रमाणित है, परन्तु जैसा कि पूर्व में उल्लेखित किया जा चुका है कि अभियुक्त सद्दाम के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी बिना विधिक अनुज्ञा पत्र के नहीं हुई है, यहां तक की अभियुक्त के पास मादक पदार्थ पहुंचा ही नहीं, जिससे प्रकरण में जब्त शुदा माल मुद्दे का रासायनिक परीक्षण व इन्वेंट्री कार्यवाही का इस प्रक्रम पर विश्लेषण किये जाने का औचित्य नहीं रह जाता है। यहाँ पर यह भी गौर तलब है कि प्रकरण में मामूर गवाह श्योजीराम मीणा, पी. डब्ल्यू. 1 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट जाहिर किया है कि मुलाकाती जो सामान देने आता है, उसके सामने ही सामान की तलाशी ली जाती है व आगे इस तथ्य को सही होना कहता है कि उसने मुलजिम इकबाल को नहीं देखा। अन्य मामूर गवाह रोहित कौशिक ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि यह कहना सही है कि यदि बैग के साथ कोई पर्ची होती और मैं देखता तो वो केमरे में कैद हो जाता। मामले की सम्पूर्ण परिस्थिति को यदि देखा जाऐ तो अभियोजन साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त इकबाल जो केन्द्रीय कारागृह, अजमेर में बंदी अभियुक्त सद्दाम से मिलने पहुंचा और जिस सामान को बंदी सद्दाम को देना था, उस सामान के थेले में जब्त शुदा मादक पदार्थ चरस हो, जो अभियुक्त सद्दाम के पास पहुंचा हो, अर्थात उक्त परिस्थितियों में अभियुक्त सद्दाम के पास ना तो मादक पदार्थ पहुंचा, ना ही उससे उक्त बरामद शुदा मादक पदार्थ बिना किसी वैध अनुज्ञा पत्र के बरामद ही किया गया, अतः ऐसे में मुलजिम के विरूद्ध विपरीत उपधारणा ली

जाना उचित नहीं है।

29– चूंकि अधिनियम, 1985 के मामलों में न्यूनतम कठोर सजा का प्रावधान है, अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य का स्पष्ठ एवं ठोस होना अत्यावश्यक है, अभियुक्त इकबाल थेले में अन्य सामान के साथ उसकी सिलाई में मादक पदार्थ अभियुक्त सद्दाम के हेतुक लेकर आया, जो उसको प्रदत्त होनी हो, इस तथ्य को कड़ीबद्ध साक्ष्य से संदेह से परे साबित करना अत्यावश्यक था, जिसको साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है, फलतः उक्त के अभाव में समस्त तथ्य परस्थितियों के चलते अभियुक्त सद्दाम, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के उस पर अधिरोपित अपराध से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

30– परिणामस्वरूप अभियुक्त सद्दाम उर्फ लाला पुत्र उम्मेद खां निवासी मेघराज, पी एस बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

प्रकरण में अन्य अभियुक्त इकबाल मफरूर है, अतः पत्रावली पर लाल स्याही से नोट अंकित हों कि पत्रावली का कोई भी भाग नष्ट नहीं किया जावें।

(भानु कुमार)
विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण,
अजमेर (राज.)

31. निर्णय आज दि. 31 जुलाई, 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया

जाकर सुनाया गया है।

(भानु कुमार)

विशिष्ट न्यायाधीश,
स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ प्रकरण,
अजमेर (राज.)

SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Digitally signed by SHAILENDRA KRISHANA PAREEK
Date: 2026.08.03 11:15:47 +0530

Authenticated Document